रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 20, 2015/फाल्गुन 1, 1936
No. 427] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2015 /PHALGUNA 1, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2015

का.आ. 596(अ).—यतः मै. अंसल एसईजेड प्रोजेक्टस लिमिटेड, जो हरियाणा राज्य का एक निजी संगठन है, ने हरियाणा राज्य के गाँव बादशाहपूर, (गुड़गांव जिले), गुड़गाव–सोहना रोड पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 15 मई, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1144(अ), में 10.9915 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. अंसल एसईजेड प्रोजेक्टस लिमिटेड ने उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन के 10.9915 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उपर्युक्त क्षेत्र को अनधिसूचित करने के लिए दिनांक 17 जुलाई, 2012 को उपर्युक्त क्षेत्र को अनाधिसूचित किए जाने हेतु अनुमोदित पत्र प्रदान कर दिया हैं;

और, यतः हरियाणा सरकार ने अपने पत्र सं. मेमो सं. ईएक्सपी/एस.ई.जेड./अंसल/5876ए, दिनांक 13 जून, 2012 के तहत इस प्रस्ताव को "अनापत्ति" प्रदान की है;

और, यतः विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 10.9915 हेक्टेयर के समस्त क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः इसलिए केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यो या किए जाने के लिए लोपित को छोडकर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ. 2/367/2006–एसईजेड]

डा. गुरुप्रसाद महापात्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2015

S.O. 596 (E).- Whereas, M/s. Ansal SEZ Projects Limited, a Private Organization in the State of Haryana, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology enabled services at Badshahpur Village (District-Gurgaon), on Gurgaon-Sohna Road in the State of Haryana;

And, Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act, read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified an area of 10.9915 hectares *vide* Ministry of Commerce and Industry Notification Number S. O. 1144(E), dated 15th May, 2008;

And, Whereas, M/s. Ansal SEZ Projects Limited has proposed to denotify the entire area of 10.9915 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for de-notification of above area on 17th July, 2012;

And, Whereas, the State Government of Haryana has given its "No Objection" to the proposal *vide* letter No. Memo No. Exp/SEZ/Ansal/5876A, dated 13th June, 2012.

And, Whereas, the Development Commissioner, Noida Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 10.9915 Hectares of the Special Economic Zone;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.2/367/2006-SEZ]

Dr. GURUPRASAD MOHAPATRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.